निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1936 (शo)

(सं0 पटना 624) पटना, बुधवार, 30 जुलाई 2014

न्यायालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

6 नवम्बर 1999

विविध वाद संख्या–187/97

बिहार सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1935 की धारा 42 के अन्तर्गत फतुहा–फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लि०, पटना के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में।

सं० 342/R.L.—02.11.1999 : ऊर्जा विभाग की अधिसूचना, ज्ञापांक 403 दिनांक 25.04.95 में निहित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि फतुहा–फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लि०, पटना अपने गठन के बाद से ही अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतः विफल रही है और उसके असंतोषजनक कार्यकलापों, अक्षम प्रबंधन के फलस्वरूप समिति बिहार राज्य विद्युत पर्षद के बकाये रकमों का भुगतान भी नहीं कर पायी।

और, चूँकि समिति के कार्यकलापों के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा–4(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण अनुज्ञा रद्द करने के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा पत्रांक 2337 दिनांक 18.08.93 द्वारा समिति को दी गई कारण–पृच्छा नोटिस का समिति से प्राप्त उत्तर समीक्षोपरान्त पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने के कारण ऊर्जा विभाग की उक्त अधिसूचना ज्ञापांक 403 दिनांक 25.04.95 द्वारा उक्त समिति को विद्युत–शक्ति की आपूर्ति संबंधी स्वीकृत अनुज्ञा निरस्त की जा चुकी है और उक्त अधिसूचना के तहत गठित कमिटि ने दिनांक 18.09.95 की बैठक में उक्त समिति को परिसमापित करने की अनुशंसा की है।

और, चूँकि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की समाधान हो जाने पर कि उक्त समिति का कार्यकलाप पूर्णतः ठप्प हो गया है, उक्त समिति एवं उसके सदस्यों को, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 2579 दिनांक 22.03.97 तथा दैनिक हिन्दुस्तान के दिनांक 30.03.97 के अंक में प्रकाशित सूचना द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे दिनांक 21.04.97 तक कारण बतायें कि क्यों नहीं उक्त समिति को विघटित कर दिया जाय। एतदर्थ दिनांक 22.04.97 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। किन्तु, न तो समिति द्वारा और न ही उसके किसी सदस्य द्वारा कारण–पृच्छा उत्तर दिया गया है और न ही सुनवाई की उक्त तिथि को वे उपस्थित हुए। केवल समिति के प्रशासक श्री सर्वेश्वर लाल दास की ओर से कारण–पृच्छा उत्तर दिया गया है। प्रशासक द्वारा कारण–पृच्छा उत्तर में कहा गया है कि परिसमापन का निर्णय तत्काल इसलिए घातक होगा क्योंकि, (क) विद्युत बोर्ड द्वारा समिति की संरचनाओं का उपयोग कर लिए जाने के लिए क्षतिपूर्ति का निर्णय नहीं हुआ है, (ख) समिति में कार्यरत कर्मचारियों का सेवा अकारण परिसमापन से समाप्त हो जायेगी, (ग) समिति अपने कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान करने की भी

स्थिति में नहीं है, इसलिए सहकारिता विभाग द्वारा बकाये वेतनादि के बराबर अनुदान आदि देने की जरूरत होगा, साथ ही विद्युत बोर्ड द्वारा समिति की संरचनाओं के उपयोग कर लिए जाने के एवज में नगद भुगतान की भी जरूरत होगी, (घ) उन्होंने आगे यह भी कहा है कि परिसमापन की कार्रवाई बिहार सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1935 की धारा–35 के तहत जाँच अथवा धाराएँ–34, 36, 37 के तहत निरीक्षण के आधार पर ही हो सकती है।

प्रशासक के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उठाये गये तथ्यों पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई। विद्युत बोर्ड द्वारा तो जबाव दिया गया परन्तु ऊर्जा विभाग द्वारा कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ। विद्युत बोर्ड द्वारा अपने जबाव में कहा गया कि समति का विघटन न्यायोचित है तथा समिति का अभ्यावेदन रद्द करने योग्य है। बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया है कि विद्युत शुल्क के रूप में बोर्ड का समिति पर 24.15 करोड़ रु० बकाया है जो अभ्यावेदन में उल्लिखित समिति के सम्पत्ति से बहुत अधिक है।

प्रशासक की आपत्तियों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि समिति का कार्यकलाप पूर्णतः ठप्प हो गया है चूँकि समिति अपनी विद्युत वितरण अनुज्ञा को पुनर्जीवित करा पाने में अक्षम रही है। चूँकि जहाँ एक ओर आय के साधन समाप्त हो गये हैं वहीं दूसरी ओर स्थापना एवं अन्य दायित्व बढ़ते जा रहे हैं। समिति की स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है। समिति के कर्मचारियों को विगत कई माह से वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है। समिति का वित्तीय घाटा निरन्तर बढ़ता गया है। इस प्रकार अब समिति के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। परिसमापन की कार्रवाई नहीं करने से समिति का संकट और अधिक बढ़ सकता है। जहाँ तक धारा–35 के अन्तर्गत जाँच कराने अथवा धारा–34, 36, 37 के अन्तर्गत निरीक्षण कराने का प्रश्न है, धारा 42 में अधोहस्ताक्षरी को यह शक्ति प्रदत्त है कि समिति का कार्यकलाप ठप्प हो जाने से अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वविवेक से भी परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। प्रशासक की अन्य आपत्तियों का निराकरण परिसमापक द्वारा भी परिसमान की कार्यवाही के दौरान विधिसम्मत तरीके से किया जा सकता है।

और, चूँकि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि समति का गठन जिन उद्देश्यों से किया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति में यह पूर्णतः विफल रही है तथा इसका कार्यकलाप पूर्णतः ठप्प हो गया है। समिति बने रहने में इसके सदस्यों को कोई अभिरूचि नहीं रह गई है।

अतः बिहार सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1935 की धारा–42 44(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन०एन० पाण्डेय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, फतुहा–फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लि०, पटना के परिसमापन का आदेश देता हूँ और संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अधिनियम एवं उसके तहत बनी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समिति के परिसमापन की कार्रवाई करें।

आदेश से,
एन०एन० पाण्डेय, निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 624-571+25-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in